**संख्या:-3/2024/1/736950/2024/31-1099/18/2022 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग**

**प्रेषक,**

**आलोक कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
(संलग्न सूची के अनुसार)
उ0प्र0 शासन।

**कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2024**

**विषय:-मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रोडमैप/कार्ययोजना CMIS पोर्टल पर फीड/अद्यतन प्रगति अपडेट कराने के संबंध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-1/16924/2022-31-1099/18/2022, दिनांक 17 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष विभागों द्वारा प्रस्तुत रोडमैप/कार्ययोजना CMIS पोर्टल पर तत्काल फीड कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अभी भी आपके विभाग की कार्ययोजना CMIS पोर्टल पर फीड नहीं हुई है।

2- उक्त शासनादेश में यह भी निर्देश हैं कि CMIS पोर्टल पर फीड 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पोर्टल पर अद्यतन प्रगति अपडेट कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु पोर्टल पर अद्यतन प्रगति अपडेट नहीं हो रही है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत 06 माह, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना संलग्न सूची के कॉलम-3 के अनुसार CMIS पोर्टल पर तत्काल फीड कराने का कष्ट करें।

4- आपसे यह भी अपेक्षा है कि CMIS पोर्टल पर फीड 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना, संलगन सूची के कॉलम-4 के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पोर्टल पर अद्यतन प्रगति अपडेट कराना सुनिश्चित करें[1]

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

**भवदीय,**

**(आलोक कुमार)**
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या/तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. समस्त सेक्टर प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने सेक्टर के अनतर्गत संबंधित विभागों द्वारा संलगन सूची के कॉलम-3 के अनुसार 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष की कार्ययोजना CMIS पोर्टल पर फीड/अद्यतन प्रगति अपडेट कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(जे0एल0 यादव)**
संयुक्त सचिव।

**संलग्नक**

| क्र0 सं0 | विभाग | पोर्टल पर फीडिंग हेतु कार्ययोजना | पोर्टल पर अद्यतन प्रगति अपडेट हेतु कार्ययोजना |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आयुष | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 100 दिन एवं 06 माह |
| 2 | उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 3 | ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 4 | नागरिक उड्डयन | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 5 | चिकित्सा शिक्षा | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 6 | भाषा | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 7 | सूचना | 01, 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 8 | आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स | 01 एवं 02 वर्ष | 06 माह |
| 9 | कृषि | 01 एवं 02 वर्ष | 06 माह |
| 10 | नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन | 01 एवं 02 वर्ष | 06 माह |
| 11 | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 12 | एन.आर.आई | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 13 | कार्मिक | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 15 | गृह एवं गोपन | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 16 | पर्यटन | 01 एवं 05 वर्ष | 06 माह |
| 17 | खादी एवं ग्रामोद्योग | 02 एवं 05 वर्ष | 100 दिन एवं 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 18 | ग्राम्य विकास | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 19 | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 20 | पंचायती राज | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 21 | मत्स्य | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 22 | माध्यमिक शिक्षा | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 23 | संस्थागत वित्त | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 24 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | 02 एवं 05 वर्ष | 06 माह एवं 01 वर्ष |
| 25 | आवास एवं शहरी नियोजन | 01 वर्ष | 100 दिन एवं 06 माह |
| 26 | उच्च शिक्षा | 01 वर्ष | 100 दिन एवं 06 माह |
| 27 | कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार | 01 वर्ष | 06 माह |
| 28 | खाद्य एवं रसद | 01 वर्ष | 06 माह |
| 29 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | 01 वर्ष | 06 माह |
| 30 | धर्मार्थ कार्य | 01 वर्ष | 06 माह |
| 31 | पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन | 01 वर्ष | 06 माह |
| 32 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 01 वर्ष | 06 माह |
| 33 | प्राविधिक शिक्षा | 01 वर्ष | 06 माह |
| 34 | बेसिक शिक्षा | 01 वर्ष | - |
| 35 | भूतत्व एवं खनिकर्म | 01 वर्ष | 06 माह |
| 36 | व्यवसायिक शिक्षा | 01 वर्ष | 06 माह |
| 37 | श्रम | 01 वर्ष | - |
| 38 | सचिवालय प्रशासन | 01 वर्ष | 06 माह |
| 39 | समाज कल्याण | 01 वर्ष | 100 दिन एवं 06 माह |
| 40 | लोक निर्माण | 02 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 05 वर्ष |
| 41 | आबकारी | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 42 | खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 43 | खेलकूद | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 44 | पशुधन | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | रेशम विकास | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 46 | सहकारिता | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 47 | हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उद्योग | 05 वर्ष | 06 माह, 01 एवं 02 वर्ष |
| 48 | अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग | - | 100 दिन, 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 49 | अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 50 | ऊर्जा विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 51 | कारागार विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 52 | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 53 | दुग्ध विकास विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 54 | नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 55 | परिवहन विभाग | - | 06 माह |
| 56 | बाल विकास पुष्टाहार विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 57 | महिला कल्याण | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 58 | युवा कल्याण विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 59 | राजस्व एवं आपदा विभाग | - | 100 दिन एवं 06 माह |
| 60 | राज्य कर विभाग | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 61 | संस्कृति | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 62 | सिंचाई, जल संसाधन (जल शक्ति विभाग) | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 63 | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |
| 64 | होमगार्ड | - | 06 माह, 01, 02 एवं 05 वर्ष |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।